

55

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय
दारु कल्याण सिंह भवन.
रायपुर 492002


—: आदेश:—

रायपुर, दिनांक 9/04/2012

क्रमांक 16⁴⁹/एफ-03-01/बीज/2012/14-2 : राज्य शासन, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा कृषकों को वितरित बीजों के दर निर्धारण हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:—

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग | अध्यक्ष |
| 2 | सचिव / संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग | सदस्य |
| 3 | संचालक कृषि | सदस्य |
| 4 | प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम | सदस्य सचिव |
| 5 | प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था | सदस्य |
| 6 | उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग | सदस्य |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार




(प्रदीप कुमार ददे)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग
रायपुर दिनांक 09/04/2012

पृ.क्रमांक/ 16⁵⁰ एफ-03-01/बीज/2012
प्रतिलिपि:—

1. कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के स्टॉफ ऑफिसर।
2. सचिव/ संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
3. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
4. संचालक, कृषि, छ.ग. रायपुर।
5. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, रायपुर।
6. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, रायपुर।



उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

